न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

निग 2829/III/15

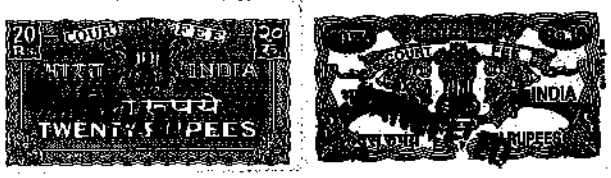

सतीश कुमार वर्मन पिता श्री सोहनलाल वर्मन, निवासी सुभाष गंज, वार्ड नम्बर 14 उमरिया, थाना, तहसील एवं जिला उमरिया (म.प्र.) ——— आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक, नजूल, उमरिया (म.प्र.) ——— अनावेदक

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
04 JUL 2015
अधीक्षक कलेक्टर

निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, शहडोल संभाग शहडोल राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/ अपील/ 2014–15 निर्णय दिनांक 26.05.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू– राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

(1) मामले का संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि राजस्व निरीक्षक नजूल, उमरिया ने आराजी खसरा नम्बर 1510/1 रकवा 4.911 हे. के अंश भाग रकवा 7350 वर्ग फिट आराजी जो कि ग्राम छटन कैम्प जनरल नम्बर 45, पटवारी हल्का विकटगंज नम्बर 08, राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया के आराजी के संबंध में आवेदक के विरूद्ध धारा 248 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत फार्म –7 अतिक्रमण रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार, नजूल उमरिया, जिला उमरिया के न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. यह कि आवेदक ने मूल न्यायालय तहसीलदार, नजूल उमरिया, जिला उमरिया में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा जवाबदावा में यह उल्लेख किया कि प्रार्थी का मकान आराजी खसरा नम्बर 1510/1 अंश रकवा 7350 वर्ग फिट पर नहीं बना है। आवेदक का मकान आराजी खसरा नम्बर 1486 एवं 1489 के अंश रकवा 7350 वर्ग फिट पर बना हुआ है तथा इन्हीं आराजियों के अंश भाग रकवा 50 वर्ग फिट का झुग्गी झोपड़ी का पट्टा भी आवेदक के बड़ी दादी पचली देवी बेवा स्वर्गीय श्री राम जियामन ढीमर के नाम से बना था, जिसे मरने के पहले आवेदक के पिता जी सोहन लाल वर्मन को सौंप दिया था।

3. यह कि आराजी खसरा नम्बर 1486 एवं 1489 के संबंध में नजूल जाँच का प्रकरण वर्ष 1978 से विचाराधीन है, जिसका प्रकरण क्रमांक 222/अ–20/1978–79 है।

XXXa BR H-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

सतीश कुमार/शासन

प्रकरण कमांक निग0 2829–तीन/16 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 01/अपील/2014–15 आदेश दिनांक 26–5–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । ग्राह्यता के प्रश्न पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि राजस्व निरीक्षक नजूल जिला उमरिया ने आवेदक के विरूद्ध धारा – 248 म.प्र. भू– राजस्व संहिता के अतंर्गत अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार नजूल उमरिया को प्रस्तुत की । तहसीलदार नजूल ने आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जिस पर आवेदक ने जबाव प्रस्तुत किया परन्तु तहसीलदार ने आवेदक पर खसरा नं0 1510/1 रकबा 7350 वर्गफीट पर बैजा कब्जा मानते हुए वेदखली का आदेश पारित किया तथा 5,86,400 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ जिला उमरिया को अपील की जो निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, शहडोल न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक	

R 2829-III/15 3211/41

26–5–15 को निरस्त किया । आयुक्त विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

आवेदक अभिभाषक के तर्क है कि विचाराधीन भूमि 1510/1 पर आवेदक का मकान नहीं है अपितु खसरा नं0 1486 एवं 1489 के अंश भाग पर 7350 वर्गफीट पर बना हुआ है । इस सर्वे नं0 के अंश भाग 50 वर्गफीट पर आवेदक की बड़ी दादी को पट्टा मिला था जिसे उन्होंने आवेदक के पिता को सौंप दिया था । विचाराधीन भूमि के संबंध अभी नजूल जॉच का प्रकरण विचाराधीन है, परन्तु फिर भी बिना जॉच किये आवेदक के विरूद्ध धारा– 248 के अंतर्गत कार्यवाही की गई ।

प्रकरण के संलग्न आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार नजूल ने पूर्णजांच उपरांत खसरा नं0 1510/1 के अंश भाग 7350 वर्गफीट पर मकान बनाने एवं बाउन्ड्रीवाल बनाकर ऊपरी मंजिल में निर्माण कार्य जारी रखने के कारण अतिक्रमण का दोषी माना है । स्थल निरीक्षण के समय भी निर्माण कार्य चालु होना पाया गया । आवेदक को उक्त भूमि की लीज स्वीकृति के संबंध में कोई आदेश दोनों अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील के समय प्रस्तुत नहीं किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गयी । आयुक्त द्वारा भी द्वितीय अपीलमें दिनांक 26–5–2015 को तहसीलदार नजूल तथा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरणों को बुलाकर तथा आवेदक अभिभाषक तर्क सुनकर यह अवधारित किया है कि तहसीलदार नजूल

R 9829-III/15 उमरिया

द्वारा म.प्र. भू– राजस्व संहिता की धारा –248 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है, जिसमें स्थल निरीक्षण भी किया गया है तथा आवेदक को साक्ष्य परीक्षण का भी अवसर प्रदान किया गया है । इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किये गये आदेश दिनांक 27–5–2014 को उचित माना है एवं अपील अस्वीकार की है । इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा– 248 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन किया गया है । ऐसा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपील में माना है । समवर्ती निष्कर्ष है । आवेदक अधिनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन भूमि पर अपने वैध आधिपत्य को सिद्ध नहीं कर सका । इस न्यायालय में भी तर्क के समय विचाराधीन भूमि पर वैध आधिपत्य/लीज आदि प्राप्त होने के संबंध में कोई समाधान कारक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका । अतः उक्त आधार पर निगरानी गाह्य करने का कोई वैधानिक आधार न होने से अगाह्य की जाती है ।

सदस्य